हाउसिंग बोर्ड के तीन संविदा कार्मिक 70 लाख के भूखंड की धोखाधड़ी में गिरफ्तार

आरोपियों ने कमीशन के लालच में रचा था फर्जी पट्टा-लीज डीड बनाने का षड्यंत्र

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । जवाहर सर्किल पुलिस ने राजस्थान आवासन मंडल (हाउसिंग बोर्ड) के तीन संविदा कार्मिकों को भूखंड की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचान करने के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, पीओन और गार्ड शामिल हैं। पुलिस के अनुसार तीनों ने कमीशन के लालच में करीब 70 लाख रुपये मूल्य के भूखंड का फर्जी पट्टा और लीज डीड तैयार करवाने की साजिश में भूमिका निभाई।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रवीण उज्जैनिया (32), अशोक कुमार बैरवा (43) और विकास कुमार (30) के रूप में हुई है। तीनों हाउसिंग बोर्ड के मालवीय नगर स्थित कार्यालय में संविदा पर कार्यरत थे। गिरफ्तार प्रवीण उज्जैनिया हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर, अशोक कुमार बैरवा संविदा पीओन और विकास कुमार संविदा गार्ड के पद पर कार्यरत था। प्रवीण जयपुर के करतारपुरा स्थित टैगोर नगर, अशोक झालाना डूंगरी की जेडीए कॉलोनी और विकास झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील के हरडिया गांव का निवासी है।



जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड के तीन संविदा कार्मिकों को भूखंड की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार किया।

जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेश चन्द्र के अनुसार,परिवादी नरेन्द्र कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राजस्थान आवासन मंडल ने उन्हें आवासीय भूखंड संख्या 5/73 आवंटित किया था। उन्होंने भूखंड की निर्धारित राशि नियमित रूप से और एकमुश्त जमा कराई थी। आरोप है कि इसके बावजूद उनके जाली हस्ताक्षर और पुरानी फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी इकरारनामा, मुख्त्यारनामा और वसीयतनामा तैयार किए गए।

- **पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों और धोखाधड़ी से जुड़े तथ्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है।**

इसके बाद झूठे गवाहों और मंडल के कर्मचारियों की मिलीभगत से भूखंड का नियमितीकरण करवाकर फर्जी पट्टा और लीज डीड अपने नाम कराई गई तथा भूखंड का बेचान कर दिया गया। इस संबंध में 13 मई 2026 को जवाहर सर्किल थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था।

इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए गोपाल लाल मीणा और विक्रम सिंह से पूछताछ के दौरान तीनों संविदा कार्मिकों की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों और आसूचना के आधार पर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। संलिप्तता प्रमाणित होने पर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों और धोखाधड़ी से जुड़े तथ्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

'शहर की आवासीय कॉलोनियों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की जांच होगी'

- **सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी के निगमों व नगरपालिकाओं को अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं।**
- **इस आदेश के मुताबिक नगर निगम आयुक्त को अपने क्षेत्राधिकार में आवासीय भूखंडों के व्यावसायिक उपयोग की पड़ताल करानी होगी**

जयपुर । आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ते चलन और बिना स्वीकृति निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के मद्देनजर जयपुर नगर निगम को भी अपने क्षेत्राधिकार में यह पता लगाना होगा कि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्रों में कहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित नगर निगम और नगरपालिकाएं ऐसे मामलों की विस्तृत सूची तैयार करें और आयुक्तों की ओर से व्यक्तिगत रूप से सत्यापित शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करें। जांच का दायरा केवल मुख्य आवासीय कॉलोनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां, विकसित और विकासाधीन क्षेत्र तथा निगम या नगरपालिका क्षेत्र से घिरे ऐसे हिस्से भी शामिल होंगे, जो तकनीकी रूप से उनकी सीमा से बाहर बताए जाते हैं।

जयपुर में इस विषय के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहर के विकास, भू-उपयोग और भवन नियमन से जुड़े मामलों में उसका क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के 23 नवंबर के आदेश में जेडीए का नाम अलग से नहीं लिया गया है और न ही उसे इस आदेश के तहत सीधे पक्षकार बनाया गया है। आदेश में राजधानी के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में मकान और भूखंडों का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग कानून और जनहित के विपरीत है। इससे वहां रहने वाले लोगों को असुविधा होती है और पर्यावरण तथा नागरिक सुविधाओं पर भी गंभीर असर पड़ता है। कोर्ट ने भवन निर्माण उपनियमों और भू-उपयोग नियमों के खुले उल्लंघन पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार निर्माण पूरा होने के बाद अधिकारियों को उल्लंघन का पता चलता है। बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण होने और बाद में कार्रवाई किए जाने की स्थिति नगर निकायों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों की जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का नियमन और भवन निर्माण नियंत्रण उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल हैं। न्यायालय ने राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे हैं।

संबंधित नगर निगमों को राज्य के शहरी विकास विभाग के सचिव अथवा नगर निगम आयुक्त के साथ समन्वय करना होगा, ताकि राज्य सरकार की ओर से आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत किया जा सके। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2027 को दोपहर 2 बजे तय की है।

देश-विदेश के वैज्ञानिक सिपेट जयपुर में जुटेंगे

जयपुर । केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) जयपुर की ओर से 28 से 30 नवंबर तक 17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "एपीएम-2026" का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य विषय 'विकसित भारत-2047 के लिए उन्नत पेट्रोरसायन सामग्री, सुरक्षा एवं सतत विकास' रखा गया है। इसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा लेकर पेट्रोरसायन तकनीक, औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेंगे। सिपेट के महानिदेशक प्रो. (डॉ.) शिशिर सिन्हा ने बताया कि सम्मेलन में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रो. एम.एम. शर्मा, पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मानित डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, पद्मश्री प्रो. गणपति डी. यादव और प्रो. आशुतोष शर्मा सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। सम्मेलन के दौरान शोध पत्र और पोस्टर प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। इनमें उन्नत पॉलिमर सामग्री, औद्योगिक सुरक्षा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के तहत नए उद्यमों की बैठक, विद्यार्थी नवाचार प्रतियोगिता और युवा भारत नवाचार प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को विचार और तकनीकी नवाचार साझा करने का अवसर मिलेगा।

भूखंडों पर अवैध कब्जा करने वाला इनामी भूमाफिया दबोचा

जयपुर । जामडोली थाना पुलिस ने भूखंडों पर अवैध कब्जे और विवादित भूमि से जुड़े पांच मामलों में वांछित दस हजार रुपए के इनामी भूमाफिया अजीत सिंह उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए करीब एक साल से अपने ठिकाने बदल-बदलकर फरारी काट रहा था।

जामडोली थानाधिकारी रतन सिंह कविया के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अजीत सिंह उर्फ जीतू (33) निवासी बस्सी जयपुर है। उसके खिलाफ जामडोली थाने में सुमेल रोड स्थित महेश विहार कॉलोनी में भूखंडों पर अवैध कब्जे के संबंध में पांच प्रकरण दर्ज हैं। इन मामलों में वांछित होने के चलते पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व की ओर से उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार महेश विहार कॉलोनी के नाम से सृजित कॉलोनी की करीब 1500 वर्गगज विवादित भूमि की जानकारी होने के बावजूद आरोपी ने अपने लाभ के लिए इसे दूसरे व्यक्ति से क्रय किया था। इस संबंध में जामडोली थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अभियोग में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया है।



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जनसुनवाई की

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सिविल लाइंस स्थित आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे और उपमुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। इस दौरान लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण सहित विभिन्न जनसमस्याओं को उपमुख्यमंत्री के सामने रखा। दिया कुमारी ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए उनका जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सार-समाचार

पशुपालन कार्मिकों को हर सप्ताह एक घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य

जयपुर । पशुपालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से निदेशालय के सभागार में शुक्रवार को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना ने की। डॉ. सुरेश चंद मीना ने कहा कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरंतर कौशल विकास आवश्यक है। आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल सरकारी कार्मिकों को कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान और कौशल अर्जित करने का प्रभावी मंच उपलब्ध करा रहा है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर प्राप्त ज्ञान का उपयोग कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने में करना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ स्टाफ का पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने और नियमित रूप से पाठ्यक्रम पूरा करवाने के निर्देश दिए, ताकि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े। प्रशिक्षण की नियमित मॉनिटरिंग के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रशिक्षण में राज्य के सभी जिलों से आए जिला स्तरीय अधिकारियों और संभाग स्तर के अतिरिक्त निदेशकों (क्षेत्र) ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर डॉ. लल्लू राम मीना एवं डॉ. भवानी सिंह ने प्रतिभागियों को पोर्टल के उपयोग, पंजीकरण और ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया समझाई। सत्र में सीसीए नियम, कार्यालय प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से संबंधित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई।

220 किलो वजन वाली महिला की सर्जरी

जयपुर (कासं)। सोनीपत निवासी 220 किलो वजन की महिला बेबी रानी की जयपुर के एपेक्स हॉस्पिटल में सफल बेरियाट्रिक सर्जरी की गई। अत्यधिक वजन के कारण उन्हें चलने-फिरने, सांस लेने और रोजमर्रा के काम करने में काफी परेशानी हो रही थी। परिजन उन्हें उपचार के लिए जयपुर लेकर पहुंचे, जहां रोबोटिक एवं बेरियाट्रिक सर्जन डॉ. रजनीश ने उनकी लेप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जरी की। करीब ढाई घंटे चली सर्जरी के बाद महिला की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉ. रजनीश ने बताया कि दूरबीन तकनीक से की गई इस सर्जरी में पेट का आकार अंदर से छोटा किया जाता है। इससे मरीज को कम भोजन करने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होता है और धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 35 से अधिक है और वे मधुमेह से पीड़ित हैं, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी लाभकारी हो सकती है। इससे वजन कम करने के साथ मधुमेह और सांस संबंधी परेशानियों में भी सुधार हो सकता है। उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद शुरुआती 15 दिनों तक मरीज को तरल आहार दिया जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे सामान्य भोजन शुरू कराया जाता है। सर्जरी के बाद पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विटामिन लेने की आवश्यकता होती है। चिकित्सकों के अनुसार, निर्धारित खानपान और नियमित फॉलोअप से मरीज धीरे-धीरे सामान्य दिनचर्या में लौट सकता है। बेबी रानी और उनके परिजनों ने सफल सर्जरी के लिए एपेक्स हॉस्पिटल के चिकित्सकों और पूरी टीम का आभार व्यक्त किया।

ई-चालान के नाम पर 1.57 लाख रु. ठगे

जयपुर । राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने मोबाइल पर फर्जी ई-चालान का संदेश भेजकर एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब 1.57 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने चालान की जानकारी लेने के लिए संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक किया था। इसके बाद मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड हो गई और साइबर ठगों ने मोबाइल को हैक कर बैंक खाते में सेंध लगा दी। मामले में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जगतपुरा के पुरुषार्थ नगर-सी निवासी दीपक माहेश्वरी (46) ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित के अनुसार, 22 नवंबर को उनके मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ई-चालान भेजे जाने का टैक्स्ट संदेश (एसएमएस) आया था। संदेश में चालान की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक लिंक दिया गया था। ई-चालान कटने के संबंध में जानकारी लेने के लिए दीपक ने संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक किया। लिंक खोलते ही उनके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड हो गई। इसके बाद साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर बैंक खाते से करीब 1.57 लाख रुपए निकाल लिए। कुछ देर बाद बैंक खाते से रकम निकाले जाने का संदेश मोबाइल पर आने पर उन्हें ठगी का पता चला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार साइबर ठगों ने ट्रैफिक पुलिस के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी ई-चालान लिंक भेजा और उसके जरिए मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस साइबर ठगी के तरीके और आरोपियों के संबंध में जांच कर रही है।

उत्कृष्ट सेवाओं पर सम्मानित होंगे जवान

जयपुर । राजस्थान पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, कर्तव्यनिष्ठा एवं सराहनीय कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक एवं डीजीपी डिस्क प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध शाखा) बिपिन पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के लिए शान्तनु कुमार सिंह (उप महानिरीक्षक पुलिस) का चयन किया गया है। इसी प्रकार डीजीपी डिस्क प्रशस्ति रोल के लिए पांच पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। इनमें सहायक निदेशक अभियोजन भंवर कुलदीप राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अदिति कांवत, पुलिस उप अधीक्षक निसार खान, उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा एवं हेड कांस्टेबल शाहिद अली शामिल हैं। इन्हें 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा।

व्हाट्सऐप अकाउंट बैन करने पर हाईकोर्ट नाराज

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने "व्हाट्सऐप अकाउंट" बैन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी अकाउंट को बंद करने के आदेश में स्पष्ट कारण बताना आवश्यक है। बिना यह बताए कि सेवा की किन शर्तों का उल्लंघन हुआ है, अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना अस्पष्ट और गैर-पारदर्शी कार्रवाई है।

न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने करौली निवासी सौरभ कुमार खंडेलवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता का व्हाट्सऐप अकाउंट 10 अक्टूबर 2026 को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अधिवक्ता आदर्श सिंघल ने पक्ष रखते हुए कहा कि अकाउंट बंद करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और शिकायत करने के बावजूद डेढ़ महीने तक कोई समाधान नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक रेड्डी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर गंभीर धोखाधड़ी और सेवा शर्तों के उल्लंघन के आरोप हैं। न्यायालय ने व्हाट्सऐप के 10 अक्टूबर के आदेश का अवलोकन किया, जिसमें केवल इतना कहा गया था कि हालिया अकाउंट गतिविधियां सेवा की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं और समीक्षा का अनुरोध उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आदेश में न तो उल्लंघन की प्रकृति बताई गई और न ही कोई ठोस कारण दर्ज किया गया। ऐसे अस्पष्ट आदेश के खिलाफ अपील का विकल्प भी प्रभावी नहीं रह जाता। पीठ ने केंद्र सरकार को सात दिन के भीतर जवाब पेश करने तथा व्हाट्सऐप अकाउंट प्रतिबंधित करने के निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषभ खंडेलवाल ने पैरवी की।

साइबर सुरक्षा हैकाथॉन आज से

जयपुर । साइबर अपराधियों के नए-नए तरीकों पर अंकुश लगाने और पुलिस जांच को तकनीक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान पुलिस और राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (आर4सी) की ओर से साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026 आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस अकादमी में 28 और 29 नवंबर को होने वाले इस हैकाथॉन में देशभर से चयनित 37 टीमें 24 घंटे लगातार काम कर साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी समाधान और डिजिटल टूल विकसित करेंगी। हैकाथॉन का उद्घाटन 28 नवंबर को सुबह 10 बजे पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत करेंगे। समापन समारोह 29 नवंबर को शाम 4 बजे होगा, जिसमें मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) वी.के. सिंह ने इस बारे में जानकारी दी।

"धरती आबा" अभियान में पूरे देश में अव्वल बना राजस्थान

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "वंचितों को वरीयता" के विजन को साकार करने के लिए शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन में राजस्थान ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मिशन मोड पर चल रहे अभियान के तहत प्रदेश के 37 जिलों के 208 ब्लॉकों के 6 हजार 19 गांवों में जनजातीय विकास को गति दी जा रही है।

अभियान के तहत आश्रम छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के निर्माण, उन्नयन एवं सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक 335 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इनमें 277 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। भारत सरकार से 177 करोड़ रुपये से अधिक की मूल स्वीकृति भी मिल चुकी है।

- **6019 गांवों में विकास कार्यों को गति, 335 करोड़ रु. के कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी**

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां और सिरोही में छह जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर आय एवं आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

आदि कर्मयोगी अभियान के प्रथम चरण में 26 जिलों के 5 हजार 978 गांवों को शामिल किया गया। इसके तहत 162 जिला मास्टर ट्रेनर्स, 1 हजार 82 ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स और 1 लाख 16 हजार 670 ग्राम स्तरीय आदि कर्मयोगियों एवं आदि सहयोगियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस राष्ट्रीय अभियान में 17 मंत्रालयों की 25 गतिविधियां शामिल हैं। मार्च 2029 तक संचालित होने वाले अभियान में 26 राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों के 2 हजार 911 ब्लॉकों के 63 हजार 843 जनजातीय गांवों को लक्षित किया गया है। इसके माध्यम से लगभग पांच करोड़ जनजातीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

'भारतीय परंपराओं में समकालीन समस्याओं के समाधान की अंतर्दृष्टि'

राजस्थान विवि. में भारतीय दार्शनिक कांग्रेस के 101वें सत्र का उद्घाटन

जयपुर । राजस्थान विश्वविद्यालय में शुक्रवार को भारतीय दार्शनिक कांग्रेस के 101वें सत्र का समारोहपूर्वक उद्घाटन हुआ। इस वर्ष अधिवेशन का केंद्रीय विषय सतत विकास तथा भारतीय संस्कृति का मूलस्वर रखा गया है। उद्घाटन सत्र में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रो. निर्माल्य नारायण चक्रवर्ती मुख्य अतिथि तथा जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो. नोबोरु नोटोमी सारस्वत अतिथि रहे।

अधिवेशन के अध्यक्ष एवं उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के प्रो. रघुनाथ घोष ने दर्शन की प्रासंगिकता पर व्याख्यान देते हुए भारतीय दर्शन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने शास्त्र परंपरा से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सतत विकास के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि निहित है। भारतीय दार्शनिक कांग्रेस के महासचिव प्रो. पत्तीरसेल्वम ने विषय प्रवर्तन किया। विभागाध्यक्ष एवं आयोजन सचिव डॉ. अनुभव वार्ष्णेय ने स्वागत भाषण देते हुए जयपुर और राजस्थान की दार्शनिक परंपरा पर प्रकाश डाला।



राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए भारतीय संस्कृति के शाश्वत तत्वों और उपजीव्यत्व पर विचार रखे। उन्होंने विश्वविद्यालय के अनेक प्रोफेसर दार्शनिकों के कृतित्व का उल्लेख करते हुए भारतीय संस्कृति के लिए भारतीय दर्शन के महत्व को बताया।

टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो. नोबोरु नोटोमी ने विश्व दर्शन और जापान के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालते हुए सतत विकास में बौद्ध दर्शन की भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने वर्ष 2028 में होने वाली विश्व दर्शन कांग्रेस के उद्देश्यों और रूपरेखा की जानकारी भी दी। मुख्य अतिथि प्रो. निर्माल्य नारायण चक्रवर्ती ने दर्शनशास्त्र की प्रविधि पर विचार रखे।

- **चार दिन में 20 से अधिक सत्रों में 500 से ज्यादा शोधपत्रों का वाचन होगा**

अधिवेशन के प्रथम दिन अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के प्रो. अरिंदम चक्रवर्ती, भारतीय दार्शनिक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रो. एसके सिंह, इस्त्राइल विश्वविद्यालय के प्रो. डैनियल रावेह, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. बालगणपति, सागर विश्वविद्यालय के प्रो. अम्बिका दत्त शर्मा, दार्जिलिंग के प्रो. लक्ष्मीकांत पाढ़ी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो. दिलीपकुमार महंत, केरल विश्वविद्यालय की प्रो. श्रीकला नायर, नेहु शिलांग विश्वविद्यालय के प्रो. माओ, चेन्नई के संत दार्शनिक स्वामी श्रीहरिप्रसाद, संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री कोसलेन्द्र दास और डॉ. देवेंद्र शर्मा सहित कई विद्वान शामिल हुए। अधिवेशन के आगामी तीन दिनों में 20 से अधिक सत्र आयोजित होंगे, जिनमें 500 से अधिक शोधपत्रों का वाचन किया जाएगा।

निगम में दो उपायुक्तों पुनः उसी कुर्सी पर लगाए

जयपुर (कासं)। जयपुर नगर निगम में बुधवार को जिन 11 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया था, उनमें से दो अधिकारियों को पुनः उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें मोनिका सोनी को उपायुक्त उद्यान और करणी सिंह को पशु प्रबंधन शाखा का उपायुक्त लगाया गया है। आदेश में 2 अफसरों के जोन बदले गए हैं, जबकि सिविल लाइंस जोन उपायुक्त को इसी जोन में राजस्व अधिकारी बनाया गया है।

संशोधित आदेश के तहत मनोहर लाल जाट को झोटवाड़ा और वैशाली नगर जोन, निहारिका शर्मा को सिविल लाइंस जोन, गीता करनानी को किशनपोल जोन और सीमा शर्मा को हवामहल-आमेर जोन का उपायुक्त बनाया गया है। दुर्गा कुमारी को उपायुक्त मुख्यालय और संतलाल मक्कड़ को उपायुक्त एनयूएलएम और कच्ची बस्ती का कार्य सौंपा गया है।

सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त रहे सुनील बैरवा को इसी जोन में राजस्व अधिकारी बनाया गया है। जबकि विद्या सैन को झालाना और जगतपुरा जोन का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जयपुर में "विटामिन-ए" अभियान 30 नवंबर से

जयपुर । बच्चों में विटामिन-ए की कमी से होने वाले कुपोषण, रतौंधी और आंखों से संबंधित समस्याओं की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विटामिन-ए अभियान का 51वां चरण 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत जयपुर जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु के 6 लाख 19 हजार 20 पात्र बच्चों को विटामिन-ए सिरप पिलाई जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत और कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. सुरेन्द्र गोयल ने बताया कि विटामिन-ए बच्चों के शारीरिक विकास, आंखों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बच्चों में रतौंधी सहित कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष विटामिन-ए अनुपूरण कार्यक्रम के दो चरण आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 9 से 12 माह तक की आयु के बच्चों को आधी चम्मच यानी 1 एमएल तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एक चम्मच यानी 2 एमएल विटामिन-ए सिरप पिलाई जाएगी। यह खुराक निर्धारित छह माह के अंतराल पर दी जाती है। अभियान के दौरान बच्चों के नियमित टीकाकरण की स्थिति की भी जांच की जाएगी। निर्धारित टीकों से वंचित बच्चों को आवश्यक टीकाकरण सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

- **जिले में 6.19 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक**

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जयपुर प्रथम डॉ. धर्मेन्द्र कराड़िया और जयपुर द्वितीय डॉ. सौरभ आर्य ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा संस्थान प्रभारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), एएनएम, आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।